

का पश हा।

२३/११/२५ पत्रावली पेश हुई। वकील चाही हाजिर नहीं।
स्वयं चाही भी अनुपस्थित। वकील चाही एवं चाही
की दाय-दाय कर आवामें लगाई गई। हाजिर नहीं है।
लिखा जा वाद चाही वकील चाही की अहम हाफरी अदालत
फैरबी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में
सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।



उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

